

पत्रांक- **S27** / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 2023

दिनांक:- **20/04/2023**

-:कार्यालय ज्ञाप:-

राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1, वर्ष-2018) के अनुपालन में जारी दिशा निर्देशों एवं समय सारिणी के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष-2023 हेतु स्थानान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा HRMS Portal पर ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा-सेवा विवरण के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-508/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023 दिनांक-15.04.2023 के द्वारा समूह-'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत धारा-6 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे:-

01. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
02. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण।
03. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

अधिनियम की धारा-09 एवं धारा-12 के अनुसार पात्र कार्मिक अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प प्रारूप-1 पर तथा धारा-13 एवं 14 के अनुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के लिये विकल्प के साथ आवेदन पत्र मय साक्ष्यों सहित संलग्न कर प्रारूप-2 पर दिनांक 15.05.2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अतः प्रारूप-01 व प्रारूप-02 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी **Kruti Dev 10, Excel sheet** में भरकर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस कार्यालय को **Email ID-nimisingh.pwd@uk.gov.in** पर दिनांक 15.05.2023 तक उपलब्ध करायेंगे। दिनांक 20.04.2023 से पूर्व एवं ऑफ लाईन के माध्यम से प्राप्त विकल्प/अनुरोध पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही उक्त निर्धारित तिथि-15.05.2023 के बाद प्राप्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विकल्प/अनुरोध पत्रों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

10

(उपेन्द्र सिंह रावत)

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 02. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 04. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
 05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
 06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
 07. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संलग्न प्रारूप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। (संलग्न-प्रारूप-01 एवं प्रारूप-02)
 08. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 09. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून। (संलग्न-प्रारूप-01 एवं प्रारूप-02)
 10. गार्ड फ़ाइल हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

10
19.04.23

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम—

पदनाम—

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम—

पदनाम—

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-

पदनाम-

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-

पदनाम-